



## न्यायालय रेवेन्यु बोर्ड ग्वालियर म0प्र0

प्र.क. निगरानी 458-II-15

भवरलाल पिता भेरूलालजी कुमावत उम्र 54 वर्ष  
व्यवसाय कृषि निवासी भालोट जिला मंदसौर ————प्राथी

### बनाम

भेरूलाल पिता अमृतराम उम्र- 75 वर्ष  
व्यवसाय कृषि निवासी भालोट जिला मंदसौर ————विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भूराजस्व संहिता  
विरुद्ध आदेश दिनांक-23/01/2015 प्र0क0  
143/09-10 अपील, न्यायालय रेवेन्यु कमिश्नर उज्जैन  
जिसके द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर  
के प्र.कं. 93/08-09 अपील में पारित आदेश जिसके  
द्वारा तहसीलदार मंदसौर द्वारा नामांतरण पंजी कमांक  
16/04-05 आदेश दिनांक-22/9/05 कायम रखा  
गया।

माननीय महोदय,

निगरानी प्राथी अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्नआधारों पर अवधि में निम्न प्रकार प्रस्तुत है—

/1/ यह कि आदेश अधिनस्थ न्यायालय विधि विधान एवं प्रकरण के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

/2/ यह कि अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 5 अवधि विधान निरस्त करने में भुंल की है।

/3/ यह कि यह प्रकरण पिता द्वारा अपने जीवनकाल में उत्तराधिकारी के पक्ष में विभाजन बाबत है। जो कि धारा 178ए म0 प्र0 भूराजस्व संहिता के

3

R.M.  
प्रो. डी. ए. क. गौड़  
आजि प्रा. 17/3/15  
17/3/15  
20/2/2016

कमांक 4663  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक को प्राप्त  
रजिस्टर्ड म. प्र. न्यायालय

431

निंर. 458-11/15

29/8/18

उपेक्षक

कावेदक कवि. श्री रिकेश व्यास

कावेदक कवि. श्री आर. स. यदिव

उपस्थित | उक्तपत्र कविवरगणों के लक्ष्य कि उनके पत्रकारों के मध्य राजीनामा हो गया है | अब प्रकटा प्रकाश किया जाये | विकरोपान उक्तपत्र कविवरगणों के हठबोध पर यह प्रकाश समाप्त किया जाता है दायित्व रिक्त हो

3

प्रकाशित